एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 06, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2026)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा सशक्तिकरण: समावेशी विकास की सुदृढ़ पहल

*चन्द्र कुमार एवं प्रो. हुलास पाठक
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: chandrakumarv054@gmail.com

छत्तीसगढ़ जैसे वनप्रधान राज्य में तेन्दूपत्ता संग्रहण केवल एक मौसमी गतिविधि नहीं, बल्कि लाखों ग्रामीण एवं आदिवासी परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। तेन्दूपत्ता बीड़ी उद्योग की रीढ़ माना जाता है और इससे राज्य को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होता है। किंतु इस श्रमप्रधान कार्य में संलग्न संग्राहक प्राकृतिक जोखिम, अस्थिर आय, दुर्घटनाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं।

ऐसी परिस्थिति में शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और मानव पूंजी निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सिद्ध होती हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: संवेदनशील वर्ग के लिए संरक्षित जीवन

1. सामूहिक सुरक्षा योजना (01 अप्रैल 2020 से लागू)

यह योजना 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। मृत्यु की स्थिति में ₹12,000 की सहायता राशि परिवार को दी जाती है।

महत्व

- आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में त्वरित राहत
- आर्थिक संकट की प्रारंभिक अवस्था में सहायता
- सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम ढांचे का निर्माण

यह योजना सामाजिक सुरक्षा के "पहले स्तर" (Primary Safety Net) के रूप में कार्य करती है।

2. राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना (01 अप्रैल 2024 से लागू)

यह योजना अधिक व्यापक और उच्च आर्थिक कवरेज प्रदान करती है। विशेष रूप से संग्राहक मुखिया को लक्षित करते हुए यह योजना आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि निर्धारित करती है।

आयु वर्ग अनुसार अनुदान संरचना

✓ 18–50 वर्ष आयु वर्ग

- सामान्य मृत्यु: ₹2,00,000
- दुर्घटना मृत्यु: ₹2,00,000 (अतिरिक्त)
- दुर्घटना में पूर्ण निशक्तता: ₹2,00,000
- आंशिक निशक्तता: ₹1,00,000

✓ 50–59 वर्ष आयु वर्ग

- सामान्य मृत्यु: ₹30,000
- दुर्घटना मृत्यु: ₹75,000

- पूर्ण निशक्तता: ₹75,000
- आंशिक निशक्तता: ₹37,50

शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ: गरीबी के चक्र को तोड़ने का माध्यम

- सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह दीर्घकालिक विकास रणनीति का संकेत है।
- ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित होती है। आर्थिक संसाधनों की कमी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ने से रोकती है। इन योजनाओं का उद्देश्य इसी बाधा को दूर करना है।

(I) व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति

ग्रामीण प्रतिभा से पेशेवर उत्कृष्टता तक की यात्रा

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह छात्रवृत्ति योजना एक सशक्त पहल है। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एमबीए और नर्सिंग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि होती है, परंतु आर्थिक सीमाएँ अक्सर उनकी राह में बाधा बनती हैं।

इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है:

- **प्रथम वर्ष:** ₹10,000
- **द्वितीय वर्ष:** ₹5,000
- **तृतीय वर्ष:** ₹5,000
- **चतुर्थ वर्ष:** ₹5,000

यह सहायता राशि भले ही सीमित प्रतीत हो, परंतु प्रवेश शुल्क, अध्ययन सामग्री, पुस्तकें, आवास या अन्य शैक्षणिक व्यय के लिए प्रारंभिक आधार प्रदान करती है। विशेष रूप से प्रथम वर्ष में अधिक राशि प्रदान करना इस बात का संकेत है कि योजना प्रवेश एवं स्थापना लागत को कम करने पर केंद्रित है।

व्यापक प्रभाव

- ग्रामीण विद्यार्थियों को पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आत्मविश्वास मिलता है।
- आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति कम होती है।
- वनवासी एवं पिछड़े वर्ग के युवाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बढ़ता है।
- दीर्घकाल में परिवार की आय संरचना में गुणात्मक परिवर्तन संभव होता है।

यह योजना केवल छात्रवृत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) का माध्यम है।

(II) गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति

उच्च शिक्षा के प्रसार की समावेशी पहल

सभी विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर नहीं जाते, किंतु स्नातक एवं सामान्य उच्च शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र में एक छात्र और एक छात्रा का चयन कर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- **प्रथम वर्ष:** ₹5,000
- **द्वितीय वर्ष:** ₹4,000
- **तृतीय वर्ष:** ₹3,000

यह प्रावधान शिक्षा के निरंतरता सिद्धांत (Continuity Principle) पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ष सहायता दी जाती है ताकि विद्यार्थी आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में न छोड़ें।

सामाजिक दृष्टिकोण

- **लैंगिक संतुलन:** एक छात्र और एक छात्रा का चयन करना महिलाओं की शिक्षा को विशेष महत्व देता है।
- **ग्रामीण उच्च शिक्षा विस्तार:** दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनता है।
- **सामाजिक समावेशन:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समान अवसर मिलता है।

यह योजना शिक्षा को अधिकार के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(III) मेधावी छात्र पुरस्कार

प्रतिभा का सम्मान, उत्कृष्टता का प्रोत्साहन

कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएँ विद्यार्थियों के जीवन की महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवस्थाएँ होती हैं। इन स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु:

- **कक्षा 10वीं:** ₹2,500
- **कक्षा 12वीं:** ₹3,000

यह पुरस्कार राशि प्रतीकात्मक होते हुए भी अत्यंत प्रेरणादायक है। यह विद्यार्थियों को यह संदेश देती है कि उनकी मेहनत और उपलब्धि को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

उद्देश्य

- उत्कृष्ट प्रदर्शन को सार्वजनिक रूप से मान्यता देना
- अन्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना
- शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना

(IV) प्रतिभाशाली शिक्षा प्रोत्साहन योजना

उत्कृष्टता को संस्थागत समर्थन

75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है:

- **कक्षा 10वीं:** ₹15,000
- **कक्षा 12वीं:** ₹25,000

यह राशि पूर्व योजनाओं की तुलना में अधिक है, जो यह दर्शाती है कि शासन उत्कृष्टता को विशेष महत्व देता है।

दीर्घकालिक प्रभाव

- उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा में वृद्धि
- प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण
- आर्थिक सहयोग से आगे की शिक्षा (कोचिंग, प्रवेश परीक्षा तैयारी) में सुविधा
- ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना

यह योजना "Merit with Support" की अवधारणा को साकार करती है, जहाँ प्रतिभा को संसाधनों के अभाव में पीछे नहीं रहना पड़ता।

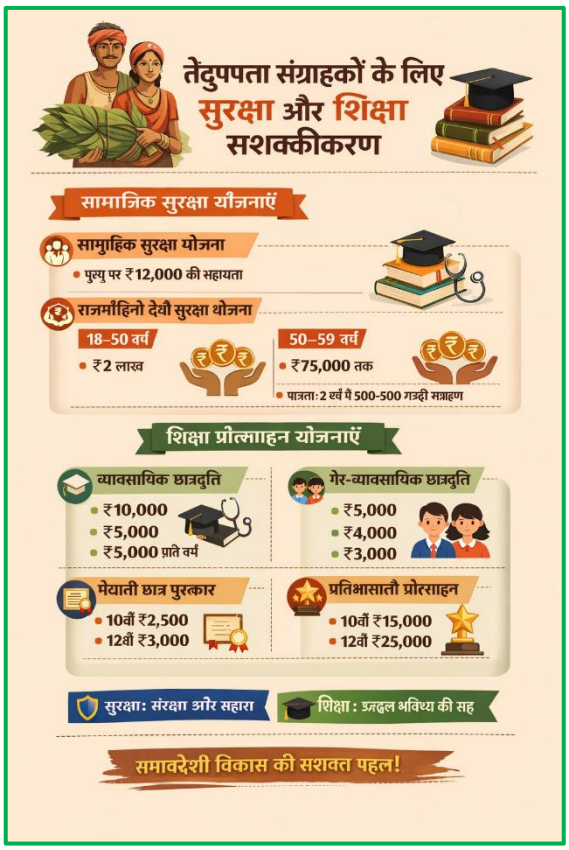

समग्र परिप्रेक्ष्य: शिक्षा के माध्यम से सशक्त भविष्य

इन सभी छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का सामूहिक प्रभाव यह है कि तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों को न केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, बल्कि उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का आत्मबल भी मिलता है। यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि पीढ़ीगत परिवर्तन की नींव है—जहाँ वन आधारित आजीविका से जुड़े परिवारों की अगली पीढ़ी पेशेवर, प्रशासनिक और सामाजिक नेतृत्व की भूमिका में आगे आ सकती है।

निष्कर्ष: सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण का संगम

तेन्दूपत्ता संग्राहक राज्य की वन-आधारित अर्थव्यवस्था के मौन किन्तु सशक्त आधार स्तंभ हैं। उनके श्रम से न केवल उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय का महत्वपूर्ण प्रवाह भी सुनिश्चित होता है। ऐसे परिश्रमी और संवेदनशील वर्ग के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएँ केवल वित्तीय अनुदान भर नहीं हैं, बल्कि गरिमा, विश्वास और संरक्षित भविष्य की दिशा में एक संगठित प्रयास हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जीवन के अनिश्चित जोखिमों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती हैं, जिससे परिवार आर्थिक संकट के समय असहाय न रह जाए। वहीं शिक्षा संबंधी प्रोत्साहन योजनाएँ अगली पीढ़ी को अवसर, आत्मविश्वास और

प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदान करती हैं। इस प्रकार ये पहल अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सशक्तिकरण—दोनों आयामों को संतुलित रूप से संबोधित करती हैं।

इन योजनाओं के माध्यम से शासन ने यह संदेश स्पष्ट किया है कि समावेशी विकास केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, बल्कि सुरक्षा, समान अवसर और मानव पूंजी निर्माण से संभव है। जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक संरक्षण और प्रगति के साधन पहुँचते हैं, तभी विकास वास्तविक अर्थों में व्यापक और न्यायसंगत बनता है। इस दृष्टि से तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित ये योजनाएँ सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।